निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (शo)

(सं0 पटना 815) पटना, मंगलवार, 7 अक्तूबर 2014

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

26 अगस्त 2014

सं0 22 नि0 सि0 (डि0)–14–13/2013/1168––माननीय विधायक श्री दिनेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 के परिवाद में वर्णित भोजपुर जिले के विपिनडीह, सेन्दहा, बलिगॉव एवं नोनार स्थलों पर कराए जा रहे रिटेनिंग वाल निर्माण कार्यो में घटिया किस्म की सामग्रियों का उपयोग कर निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोपों की जॉच उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा कराई गई। उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि बिहिया शाखा नहर अन्तर्गत सेन्दहा एवं नोनार स्थल पर संरचना कार्य में मोर्टार में सिमेंट की मात्रा मानक से कम है। उक्त अनियमितता के लिए श्री अशोक कुमार वर्मा (आई0 डी0–3453), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, पीरो से विभागीय पत्रांक 1388 दिनांक 21.11.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री अशोक कुमार वर्मा (आई0 डी0–3453), तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण में उनके द्वारा बताया गया कि बलिगॉव एवं सेन्दहा स्थल पर एक ही संवेदक से कार्य कराया गया है लेकिन बलिगॉव में कार्य का रिर्पोट ठीक है जबकि सेन्दहा में मोर्टार में सिमेंट कम पाया गया है। क्षेत्रीय गुण नियंत्रण द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, उसके अनुसार कार्य अच्छा है। सेन्दहा एवं नोनार स्थल पर B/W के अन्तिम चरण में मजदूरो द्वारा Hand Mixing से मोर्टार तैयार किया गया था जिसके कारण संभव है कि जिस स्थल से सैम्पल लिया गया वहॉ सिमेंट की मात्रा कम हो गई हो लेकिन इससे पूरे कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं हुई है अन्यथा सुरक्षात्मक दीवाल टिक नहीं पाता। योजना कार्य सफल है तथा उस पर खरीफ पटवन भी किया गया है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है।

श्री अशोक कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, पीरो से प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि उड़नदस्ता अंचल की जॉच में कुछ स्थलों पर पी0 सी0 सी0 और प्लास्टर की गुणवत्ता खराब है। भोजपुर जिला के सेन्दहा एवं नुनार स्थलों पर साईफन के कार्य में विशिष्टि के निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से जॉच फल अधिक पाया गया जिसके लिए श्री अशोक कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, पीरो दोषी है।

अतः निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए सैम्पल यथा– सेन्दहा स्थल, नुनार स्थल एवं तद्नुरूप इन दोनों स्थलों पर साईफन के कार्य में विशिष्टि के निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक जॉच फल पाए जाने के आधार पर श्री अशोक कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को दोषी पाते हुए सरकार द्वारा उनके विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) निन्दन वर्ष 2013–14

(ii) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार वर्मा (आई0 डी0–3453), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, पीरो के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता हैः–

(i) निन्दन वर्ष 2013–14

(ii) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 815-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in